सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{04 चैत्र, 1947 (श०)}}{\text{25 मार्च, 2025 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या-01

(1)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	01
	कुल योग	01

योजना का पुनः निर्माण

"ख" *1428 **श्रीमती ज्योति देवी (बाराचट्टी)** क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी से गोखुला नदी पर मौनवां झोंड वृहद् सिंचाई योजना को वर्ष 2003-04 में शामिल कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था किन्तु बाद में निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में कई गाँवों के किसान निराश हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मौनवां झोंड सिंचाई योजना का पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नोट:- 'ख' दिनांक-19.03.2025 को सदन द्वारा लघु जल संसाधन विभाग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग में स्थानांतरित ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक-25 मार्च, 2025 (ई०) ।

सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 04 चैत्र, 1947 (श०) / 25 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-01

(1) कला संस्कृति एवं युवा विभाग	01
कुल योग	01

<u>एन० सी० सी० कार्यालय पुन: खोलना</u>

''ग'' *1987 **<u>श्री प्रणव कुमार (मुंगेर)</u>** क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एन० सी० सी० कार्यालय जो पूर्व में मुंगेर जिले के लाल दरवाजा स्थित गंगानगर में अवस्थित था उसे एन० सी० सी० कार्यालय मुंगेर में अपनी भूमि नहीं होने के कारण बतलाते हुए बेगूसराय जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है, परन्तु सदन प्रखण्ड के शंकरपुर पंचायत स्थित आई०टी०सी० आवास (क्वार्टर) जिसके हेतु भूमि आई०टी०सी० द्वारा बिहार सरकार से लीज पर ली गई थी, उस भूमि को बिहार सरकार को लौटा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर एन० सी० सी० का कालर्यालय पुन: मुंगेर में स्थापित कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

नोट:- 'ग'- दिनांक-24 मार्च, 2025 को सदन द्वारा गृह विभाग से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में स्थानांतरित ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक-25 मार्च, 2025 (ई०) ।

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 04 चैत्र, 1947 (श०) / 25 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 135

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	77
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	13
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	02
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	10
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	10
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	02
(7)	परिवहन विभाग	..	..	11
(8)	खेल विभाग	..	..	07
(9)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	01
(10)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	02
			कुल योग --	135

औचित्य बतलाना

"क"-*1140. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक "दिव्यांग कोटि बिहार के 44 व बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टी0आर0ई0) 1.0 से 3.0 तक के विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि में बिहार राज्य के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नियम के विरुद्ध हुआ है एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में राज्य के मात्र 44 अभ्यर्थियों, जबकि दूसरे राज्य के 121 अभ्यर्थियों, जिसका औसत अनुपात 26 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत है, का चयन किये जाने का क्या औचित्य है ?

अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान

*2057. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के सिराही ग्राम निवासी रामलोचन मुखिया का दिनांक 3 जुलाई, 2024 को परसा नहर पुल के निकट NH-227L पर विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से धक्का लगने से मृत्यु हो गई, जिसका बासोपट्टी थाना कांड संख्या 127/24, दिनांक 3 जुलाई, 2024 दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मृतक की पत्नी श्रीमती रामपरी देवी ने सभी आवश्यक कागजात के साथ बासोपट्टी थाना के ज्ञापांक 2196/24, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी को अनुग्रह अनुदान की राशि हेतु आवेदन दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*2058. श्री अरूण सिंह (काराकाट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड-काराकाट, पंचायत-देव में एक भी खेल मैदान अवस्थित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के शारीरिक विकास एवं खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय खोलने हेतु

*2059. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत छौड़ादानो एवं बनकटवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या अत्यधिक है, परन्तु यहाँ छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिये आवासीय विद्यालय नहीं है, जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--"क"-दिनांक 17 मार्च, 2025 को सदन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित ।

प्रतिनियुक्ति करना

*2060. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के चार जिलों यथा बक्सर, कैमूर, सिवान और शेखपुरा जिला के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की सीमा क्षेत्र में अवस्थित जिलों में अधीक्षक रैंक के पदाधिकारी के बजाय इंस्पेक्टर को प्रभार में पदस्थापित किया गया है, जिसके कारण शराब की तस्करी बदस्तूर हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिलों की सीमा पर अधीक्षक के पदधारक पदाधिकारी को कबतक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण

*2061. श्री कौशल किशोर (राजगीर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव प्रखंड के ग्राम पंचायत गोरावा पाकी के ग्राम सिकन्दरा के महादलित रविदास टोला के खाता संख्या 492, प्लॉट 4558 में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, परन्तु सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गिरियक प्रखंड के ग्राम पंचायत रैतर में ग्राम-भोजपुर माँझी टोला अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के बावजूद भी यहाँ सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण अभीतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महादलित गाँवों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि देना

*2062. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कुल 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी जिलों से भुगतान की माँग आ जाने के बावजूद पिछले 8 महीनों से इन विद्यालयों को अनुदान की राशि नहीं मिलने से वहाँ कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और वे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों को तत्काल अनुदान की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2063. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु सड़क के किनारे पेड़-पौधा लगाया जाता है तथा जबतक पेड़-पौधे सुदृढ़ नहीं हो जाते तबतक मवेशी (जानवरों) से सुरक्षा हेतु उनकी घेराबंदी करने का प्रावधान है, जिसपर सरकार द्वारा राशि खर्च की जाती है, परंतु सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-बाजपट्टी, नानपुर व बोखड़ा में पेड़-पौधों की सुरक्षा हेतु घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण सड़क किनारे लगे पौधे मवेशियों द्वारा नष्ट कर दिये गये हैं, यदि हाँ, तो घेराबंदी के नाम पर सरकारी राशि का सही से उपयोग नहीं करने वाले कर्मचारी एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार कबतक एवं कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का निर्माण

*2064. श्री पवन कुमार यादव (कहलगाँव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी निवास करती है, जबकि उक्त प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कहलगाँव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने से सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को काफी सुविधा होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कहलगाँव में डॉ0 भीमराव अम्बेदकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2065. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत बी0 डी0 कॉलेज, मीठापुर के दर्जनों प्रोफेसर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थापित रहने के बावजूद शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता के साथ अन्य भत्ता का भुगतान शहरी दर पर किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज के ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित प्रभारी प्राचार्यों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2066. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (बनमनखी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय में पूर्णियाँ जिला के बनमनखी निवासी सपना कुमारी, उम्र 11 (ग्यारह) वर्ष, पिता-श्री प्रकाश ऋषि वर्ग 4 (चार) में पढ़ती थी, जिसका दिनांक 3 फरवरी, 2025 को संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई है, जिसकी प्राथमिकी स्कूल प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं करायी गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को हुई संदिग्ध मृत्यु की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये मृत बच्ची के परिजन को मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सम्राट अशोक भवन का निर्माण

*2067. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (समस्तीपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिये नगर परिषद्, समस्तीपुर (सम्प्रति नगर निगम, समस्तीपुर) द्वारा विभाग को तीन वर्ष पूर्व ही प्रस्ताव भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा एक वर्ष पूर्व ही विचार किया गया है, लेकिन निविदा की प्रक्रिया अभीतक लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समस्तीपुर जिला मुख्यालय में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व का ब्यौरा उपलब्ध कराना

*2068. श्री छत्रपति यादव (खगड़िया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, दरभंगा का अंगीभूत इकाई है एवं इस महाविद्यालय के काफी जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय का जमीन एक निश्चित समय के अन्तराल पर निलामी के माध्यम से पट्टा पर किया जाता है तथा इससे प्राप्त राजस्व से महाविद्यालय संबंधी व्यय किया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 2021 से पूर्व उक्त महाविद्यालय की जमीन की निलामी कितनी बार हुई है व कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा 2021 से 2024 के बीच कितनी बार निलामी हुई व कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा राजस्व की क्या उपयोगिता रही के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं प्रकाशित किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महाविद्यालय के 2021 से पहले प्राप्त राजस्व एवं 2021-2024 के बीच प्राप्त राजस्व तथा इसकी उपयोगिता का स्पष्ट रूप से ब्यौरा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2069. श्री कुंदन कुमार (बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड के चाँदपुरा पंचायत में अवस्थित राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कमरा, स्मार्ट क्लास रूम एवं विद्यालय की चहारदीवारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में लगभग 700 विद्यार्थी नामांकित हैं, जबकि उनके पठन-पाठन हेतु मात्र 6 कमरे उपलब्ध हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है और साथ ही चहारदीवारी के अभाव में आये दिन यह असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं के हित में अतिरिक्त कमरों के साथ चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2070. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (पिपरा, पूर्वी चंपारण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल, महमूदपुर, मझौलिया में भवन की कमी है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को पठन-पाठन जैसे क्रियाकलापों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सह0 प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति

*2071. श्री विजय कुमार मण्डल (दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसका बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय वृद्धि एवं सेवा समायोजित करना

*2072. श्री राम रतन सिंह (तेघरा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न जिलों में संचालित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित प्रशिक्षक अल्प मानदेय एवं बिना अवकाश व अन्य सुविधाओं के कार्य कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने के साथ-साथ उन्हें सरकारी सेवा में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में नए कमरों का निर्माण

*2073. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के धरहरा कला पंचायत के उ0 म0 विद्यालय, धरहरा खुर्द में नये कमरे का निर्माण नहीं होने से पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में नये कमरे का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*2074. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के झिलझिली पंचायत के वार्ड नं0-15 सिक्टेहार के सरवुल आलम, पिता-स्व0 मो0 पलामू की मृत्यु दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी, परन्तु दो वर्ष बाद भी मृतक के आश्रितों को आपदा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*2075. श्री फते बहादुर सिंह (डेहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखण्ड के तैंदुआ दुसाधी दलित टोला में विद्यालय नहीं रहने से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दलित टोला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्षों की मरम्मती कराना

*2076. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बहिकोल में वर्ग कक्ष काफी जर्जर है एवं छत से पानी टपकने के कारण विद्यार्थियों के मन में भय बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के वर्ग कक्षों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों

विद्यालय भवन का निर्माण

*2077. मो0 नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के नगर पंचायत वार्ड नं0-14-15 में बच्चों के पढ़ने हेतु कोई विद्यालय नहीं है, जबकि यहाँ की आबादी 5000 से 7000 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्ड नं0-14-15 में विद्यालय नहीं रहने से बच्चों को पढ़ाई करने के लिये एन0एच0 को पार करके 2 किलो मीटर दूर ग्राम-इमादपुर जाना पड़ता है जबकि ग्राम-चरकावां महमुद में विद्यालय के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिसका खाता नं0-212, प्लॉट संख्या-965/1526 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं शौचालय का निर्माण

*2078. श्री राणा रणधीर (मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के सुन्दरपट्टी पंचायत के कोरल ग्राम में स्थित मध्य विद्यालय, कोरल का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन एवं शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

विद्यालयों का चहारदीवारी निर्माण

*2079. श्री विनय कुमार (गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के पहरा पंचायत अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, तांती, प्राथमिक विद्यालय, पहरा, प्राथमिक स्वामी विगहा तथा मध्य विद्यालय गिरधारा का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय परिसर में आवारा पशुओं तथा असामाजिक तत्वों का आवागमन बना रहता है, जिससे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पठन-पाठन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान करना

*2080. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, संगत टोला में पदस्थापित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षिका मालती टुड्डू सहित उक्त कोटि के कटिहार जिला में पदस्थापित पांच शिक्षकों का माह अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक का वेतन बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार वेतन भुगतान में विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2081. श्री संजय कुमार गुप्ता (बेलसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर से तरियानी वाया मुंशी चौक-दुम्मा हिरौता होते हुए शिवहर तक एक भी सरकारी बस का परिचालन नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर सरकारी बस चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धा पेंशन पुनः बहाल करना

*2082. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के वैसे वृद्ध पेंशनधारियों का पेंशन इस कारण से बन्द है कि इनका अंगूठा का निशान मिट गया है, जिससे मशीन अंगूठा या अन्य अंगुली का निशान नहीं ले रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गरीब लाचार वृद्धजन का पेंशन बन्द होने से भोजन, दवाई इत्यादि के अभाव में इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित कारणों से बंद पड़े वृद्धा पेंशन को पुनः बहाल करने के लिए कौन-सी कदम उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2083. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कई आदेशपाल सह-रात्रि प्रहरी को नियम के विरुद्ध स्थानान्तरण किया गया है, जिसपर तत्कालीन परियोजना निदेशक पटना के पत्रांक 97, दिनांक 7 जनवरी, 2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को रद्द कर पुनः अपने स्थान पर बने रहने का आदेश दिया है, फिर भी उक्त कर्मीगण को विरमित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त राज्य परियोजना निदेशक, पटना के आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन की मरम्मती एवं हस्तगत कराना

*2084. श्री रामप्रीत पासवान (राजनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अंधराठाढ़ी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मदनपट्टी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रही (राजनगर) का भवन 2020-21 में विभाग द्वारा बनाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा अभी तक विद्यालय भवन को हस्तगत नहीं कराया गया है और भवन के सभी खिड़की और प्लास्टर भी टूट गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन को ठीक कराकर कबतक विद्यालय को हस्तगत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं अतिरिक्त वर्ग कमरा का निर्माण

*2085. श्री मनोज कुमार यादव (कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय +2, करिया में वर्ग कमरा और चहारदीवारी का अभाव है जिसके कारण नामांकित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी एवं अतिरिक्त वर्ग कमरा कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कार्य कराना

*2086. श्री विशाल प्रशांत (तरारी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड के शहर में स्थित स्टेडियम काफी जर्जर है, गड्ढा होने के कारण वहां सालों भर पानी जमा रहता है, जिसके कारण आस-पास के ग्रामीण बच्चे उक्त खेल परिसर के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल परिसर में मिट्टी भराई के साथ जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नामकरण करना

*2087. श्रीमती नीतु कुमारी (हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखण्ड के सलीमापुर पंचायत के नेचुआ गाँव में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के लिए जग्रनाथ ठाकुर द्वारा विगत 50 वर्ष पूर्व 10 कट्ठा जमीन दान दिया गया था, जिसके कारण जमीनदाता के नाम पर विद्यालय का नामकरण करने हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पत्रांक 600, दिनांक 27 जुलाई, 2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को अनुशंसा भेजे जाने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार जमीन दानदाता के नाम पर उक्त विद्यालय का नामकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2088. श्री मनोज यादव (बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत चांदन प्रखंड के ग्राम पंचायत दक्षिणी कसबा वसिल्ला ग्राम-लौढ़िया पेसराहा में विद्यालय भवन नहीं है, जिसके चलते बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण

*2089. श्री छोटे लाल राय (परसा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है जिसमें कई बार ऐसे वृक्ष लगाये जाते हैं जो न तो किसी व्यावहारिक उपयोग में आते हैं न हीं उनसे स्थानीय लोगों को कोई प्रत्यक्ष लाभ होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश में आम, अमरूद, जामुन आदि जैसे अन्य फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में कमरे एवं शौचालय का निर्माण

*2090. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनोहरपुर पंचायत में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मनोहरपुर में 450 छात्र-छात्राएं हैं, लेकिन वहां कमरे और शौचालय का अभाव है, जिससे छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कमरे एवं शौचालय का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने हेतु

*2091. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (चिरैया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति छात्रों के लिए अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय नहीं है जिस कारण उन मेधावी छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*2092. श्री अख्तरूल ईमान (अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड के० नगर में श्रीमती रौशन जहाँ महिला पर्यवेक्षिका के पद पर पिछले 03 वर्षों से कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञापांक 3077, दिनांक 13 जून, 2023 के द्वारा 03 या 03 वर्ष से अधिक एक ही स्थान/जिला में पदस्थापित कर्मियों का स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पर्यवेक्षिका का अन्यंत्र प्रखंड में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2093. श्री मिश्री लाल यादव (अलीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजाखर बार +2 विद्यालय भवन निर्माण कार्य का स्वीकृत्यादेश के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में भवन की कमी है एवं घेराबंदी नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण संबंधी बाधाओं की जांच एवं घेराबंदी कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना

*2094. मो० कामरान (गोविंदपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में गोविन्दपुर प्रखंड में अवनैया से रहीम बिगहा एवं कर्पूरी नगर से कोल महादेव डैम तक सड़क निर्माण हेतु निविदा क्रमशः दस वर्ष एवं छः माह पूर्व हो चुकी है परंतु उक्त दोनों सड़क निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिससे आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2095. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (राजा पाकर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला कल्याण कोषांग के पूर्व नाजीर श्री सुधांशु शेखर एवं पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी श्री संजीव कुमार रत्न द्वारा अवैध वसूली और रिश्वत लेने के बाद ही गरीब दलितों को योजनाओं का लाभ देने की शिकायत सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग से किये जाने के उपरांत भी इनपर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व नाजीर श्री सुधांशु शेखर द्वारा बगैर वरीय पदाधिकारियों की स्वीकृति के अनावश्यक सामानों की जैम पोर्टल से खरीद में अनियमितता के बावजूद विभागीय कार्रवाई अबतक नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड बनाना

*2096. श्री रामप्रवेश राय (बरौली)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा महादलित टोलों मे सामुदायिक भवन (वर्कशेड) बनाये जाने की योजना चलाई जा रही है, किन्तु गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के भड़कुइयाँ स्थित वार्ड सं० 09 हरिजन टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड नहीं है, जबकि वहां सायर माई स्थान के नजदीक पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पण

*2097. श्री सुधांशु शेखर (हरलाखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत निकाय के नियोजित शिक्षकों जो सक्षमता-1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं से स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सक्षमता-2 उत्तीण नियोजित शिक्षक स्थानांतरण हेतु आवेदन करने से वंचित रह गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सक्षमता-2 उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को भी स्थानांतरण आवेदन समर्पित करने का मौका देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति

*2098. श्री पवन कुमार जायसवाल (ढाका)--हिंदी समाचार-पत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2025 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "86 स्कूलों में बच्चों का नामांकन शून्य" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भू-डायस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2022-23 में 31 एवं वर्ष 2023-24 में कुल 117 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये हैं, जिनमें भवन, कक्षाएं, शिक्षक हैं, परंतु बच्चे नामांकित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022-23 में शून्य नामांकन वाले विद्यालय में 199 शिक्षक थे, वहीं 2023-24 में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में 544 शिक्षक कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वैसे 117 विद्यालयों में पूर्व में फर्जी नामांकन दिखाकर मध्याह्न भोजन, अनुदान का लाभ लेने वाले कर्मी तथा संबंधित प्र० शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं वैसे शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति शिक्षक की कमी वाले विद्यालयों में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2099. श्री अजय कुमार सिंह (जमालपुर, मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर के तेलियाडीह पंचायत में कृष्णा नगर गांव है, जिससे प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग डेढ़ से दो किलो मीटर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांव के लोग जिला शिक्षा अधिकारी को राज्यपाल के नाम निबंधित भूमि पर प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु दो वर्ष पूर्व अनुरोध भी किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृष्णा नगर गांव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये उपलब्ध जमीन पर प्राथमिक विद्यालय भवन बनाकर पठन-पाठन की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि बढ़ाना

*2100. श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ममता कार्यकर्ता मात्र 300 रुपये प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि पर कार्य कर रही है, जो वर्तमान में काफी कम है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ममता कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की जगह 1000 रुपये मानदेय देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ देना

*2101. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डी०के० कॉलेज, डुमरांव की सत्र 2018--21 तथा 2019--22 की इतिहास (प्रतिष्ठा), उर्दू (प्रतिष्ठा) तथा वाणिज्य (प्रतिष्ठा) की उत्तीर्ण सभी छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र मान्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सत्रों की उत्तीर्ण छात्राओं का विवरण 'कन्या उत्थान योजना' की सम्बंधित वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें योजना का लाभ अभीतक नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सत्रों में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 'कन्या उत्थान योजना' का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बालू खनन पर रोक

*2102. श्री अजय यादव (अतरी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-सहवाजपुर, टोला-सुन्दरपुर के निकट महाने नदी एवं जलवार नदी में बालू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बालू उत्खनन कर बिक्री किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करना

*2103. श्री सुनील मणि तिवारी (गोविंदगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी मध्य एवं माध्यमिक/उच्चतर विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन रात्रि प्रहरियों का मानदेय श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी से भी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविदा पर नियुक्त रात्रि प्रहरियों को अन्य संविदाकर्मियों की भांति सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने तथा उन्हें भी ई०पी०फ० और ई०एस०आई०सी० से आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस स्टैण्ड बनाना

*2104. श्री राजवंशी महतो (चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के प्रखंड छौराही, प्रखंड-खोदावनपुर तथा प्रखंड-चेरियाबरियारपुर में सरकारी बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण गरीब जनता को आने-जाने में कठिनाई हो रही है, जबकि उक्त प्रखंडों में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में सरकारी बस स्टैण्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र बनाने हेतु

*2105. श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत केसरिया प्रखण्ड के ताजपुर पठखौलिया पंचायत के वार्ड नं० 8 एवं वार्ड नं० 11 में आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं होने के कारण बच्चों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर आँगनबाड़ी केन्द्र बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करना

*2106. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बसंतपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सीमांत गांधी महाविद्यालय के शासी निकाय प्रबंध समिति पर दिनांक 30 जुलाई, 2023 को सेवानिवृत्ति प्राचार्य को अवैध तरीके से पद पर रखने सहित अन्य वित्तीय अनियमितता एवं कादाचार संबंधी आरोप हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, (शैक्षणिक) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के ज्ञापांक (1) 1518, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा अध्यक्ष शासी निकाय/प्रबंध समिति (2) ज्ञापांक 1024, दिनांक 06 मई, 2022 एवं ज्ञापांक 2020, दिनांक 6 अगस्त, 2022 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को पत्र देकर खण्ड में वर्णित वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, परन्तु अभीतक कोई भी कार्रवाई नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड (2) में वर्णित तथ्यों की जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2107. श्री सऊद आलम (ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज व दिघलबैंक प्रखंड में मापदंडों के विरुद्ध ईंट भट्ठों के संचालन होने से पर्यावरण दूषित हो रहा है जिससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही है, ठाकुरगंज प्रखण्ड में बंदरझुला, कन्हैयाजी ग्राम सहित भट्ठा चौक, सालगुरी, भेलागुरी गांव में आबादी वाले इलाके से महज 50 मीटर की दूरी पर ही भट्ठों का संचालन दिन-रात किया जा रहा है, वहीं जियापोखर हाठ से भट्ठाचौक तक 2 KM दूरी के अन्तराल में 13 भट्ठा संचालित हो रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में संचालित ईंट भट्ठों का जाँचोपरांत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन योजना का लाभ दिलाना

*2108. श्री राजेश कुमार सिंह (हथुआ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड की 31 पंचायतों के सभी वार्डों में विधवा, वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पंचायतों के वार्ड में शिविर लगाकर लाभार्थियों के मामलों का निराकरण कर वर्णित पेंशन योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*2109. श्री आनन्द शंकर सिंह (औरंगाबाद)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के एरौरा पंचायत अन्तर्गत सुदूर एवं नक्सल प्रभावित गांव यदुपुर ग्राम में खेल मैदान और भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये खेल को बढ़ावा देने हेतु स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार देव प्रखंड के एरौरा पंचायत के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव यदुपुर के खेल मैदान में कबतक स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

STET और B.Ed उत्तीर्ण का नियोजन पूर्व के नियम के अनुसार करना

*2110. श्री आलोक कुमार मेहता (उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2011-12 में STET और B.Ed उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों में से 80% अभ्यर्थियों का नियोजन हो चुका है और शेष 20% अभ्यर्थियों के लिये अलग नियम के तहत नियम BPSC के द्वारा बहाली किया जा रहा है और उन शेष बचे अभ्यर्थियों का उम्र सीमा भी समाप्त हो चुका है और वे अब BPSC द्वारा आयोजित TRE परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित नियम के अनुसार एक साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये दो नियम न्याय संगत नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार शेष 20% अभ्यर्थियों का नियोजन पूर्व के नियम के अनुसार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्याह्न भोजन वितरण

*2111. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नबीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 40 हजार 566 प्राथमिक एवं 31 हजार 237 मध्य विद्यालय हैं, जहां मध्याह्न भोजन की योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुछ जिला के कुछ विद्यालयों में ही समेकित भोजन वितरण की पायलट योजना शुरू हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के सभी विद्यालयों में समेकित मध्याह्न भोजन वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन की व्यवस्था

*2112. श्रीमती ज्योति देवी (बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी के ग्राम पंचायत पतलुगा का ग्राम-तिलेटाँड़, पहाड़ी की तलहटी से लगभग 5 किलो मीटर ऊपर झारखंड की सीमा पर बसा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम-तिलेटाँड़ में लगभग 40 से 50 घर हैं और यहां के सभी निवासी महादलित हैं और आजतक यहां के बच्चों की पढ़ाई के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यहां के बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

*2113. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री के पत्रांक 250/2024, दिनांक 25 जुलाई, 2024 द्वारा वर्षाकालीन पौधारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में कम-से-कम 4 करोड़ 67 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें राज्य में सभी सांसद, सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य, विधान परिषद् को अपने क्षेत्रों में वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूची उपलब्ध कराने का पत्र निर्गत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्रांक 99/2024, दिनांक 27 अगस्त, 2024 एवं पत्रांक 184/2024, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा विभागीय मंत्री, जिला वन पदाधिकारी, जमुई एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थल सूची के साथ पौधारोपण हेतु पत्र देने के बावजूद एक भी स्थानों पर पौधोरोपण का कार्य नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला वन पदाधिकारी, जमुई एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2114. श्री रामानुज प्रसाद (सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाते की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत अकिलपुर पंचायत के सलहली ग्राम स्थित प्राथमिक विद्यालय, सलहली का अपना भवन नहीं रहने के कारण प्राथमिक विद्यालय, बाकरपुर के साथ जोड़ दिया गया है जिससे छात्र-छात्रों को दूरी के कारण सलहली ग्राम के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहा जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराकर पुनः पूर्व की भाँति सलहली ग्राम में संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2115. श्री सत्यदेव राम (दरौली)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में आयोजित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 17वीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान सिर्फ तीन बैठकें आयोजित की गयी है जबकि इस ऐक्ट के अनुसार 10 बैठकें होने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत खण्ड (2) में उल्लेखित बैठकों के आयोजित नहीं होने का क्या औचित्य है ?

जर्जर लाईब्रेरी का मरम्मतीकरण

*2116. श्री प्रणव कुमार (मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला स्थित BRM कॉलेज की लाईब्रेरी जर्जर है तथा उपस्कर की कमी होने के कारण महाविद्यालय में पढ़ रही छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार महिला कॉलेज स्थित लाईब्रेरी का मरम्मतीकरण तथा उपस्कर की कमी को कबतक दूर कर छात्रों को पढ़ने की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*2117. श्री संतोष कुमार मिश्र (करगहर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में जिला खनिज समिति (डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट) संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक जिला के जिला खनन पदाधिकारी उक्त जिला स्तरीय जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफ) के सदस्य सचिव, जिला पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा जिला के सांसद, विधायक, विधान पार्षद सदस्य होते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त डीएमएफ ट्रस्ट के माध्यम से जिलों के हर विधान सभा क्षेत्रों में स्कूलों, शौचालयों का निर्माण, सोलर लाइट तथा खेल मैदान/स्टेडियम इत्यादि के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु खनन विभाग को जो खनिजों के खनन अथवा खरीद-बिक्री से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है, उसे खर्च करना होता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डीएमएफ ट्रस्ट के माध्यम से पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु क्षेत्रवार राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि दिलाना

*2118. श्री राहुल तिवारी (शाहपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जितेन्द्र कुमार, पिता-बबन सिंह एवं शान्ति देवी, पति-बबन सिंह, ग्राम-मनियारा, थाना-तियर, प्रखण्ड-बिहियाँ, जिला-भोजपुर की दिनांक 22 अक्टूबर, 2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है, परन्तु अबतक मृतक के आश्रित को सरकारी सहायता राशि नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतकों के आश्रित को सरकारी मुआवजा की राशि दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन और चहारदीवारी का निर्माण

*2119. श्री कुमार शैलेन्द्र (बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड में अवस्थित जे०पी० कॉलेज जो कि एक डिग्री कॉलेज है, में न ही चहारदीवारी है और न ही आनुपातिक भवन है, जिसके वजह से पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त डिग्री कॉलेज का अतिरिक्त भवन और चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंधन समिति के निर्णयानुसार विकास कार्य कराना

*2120. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (दरौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के माध्यमिक विद्यालय रुकुंद्दीपुर, रामपुर सहित अन्य विद्यालयों में विगत तीन वर्षों से प्रबंधन समिति की बैठक नहीं होने से विद्यालय के विकास कार्य प्रभावित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैठक नहीं होने के कारण प्रधानाध्यापकों द्वारा मनमानी ढंग से विकास मद से पैसे की निकासी कर ली जाती है, जिसकी सूचना प्रबन्धन समिति के सदस्यों को भी नहीं होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रबन्धन समिति बैठक के निर्णयानुसार ही विद्यालय का विकास कार्य सुनिश्चित कराने एवं बैठक में पारित कार्यों हेतु ही पैसे की निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2121. श्री विश्व नाथ राम (राजपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड अन्तर्गत 1. उर्दू प्राथमिक विद्यालय इतादी 2. मध्य विद्यालय महिला 3. मध्य विद्यालय डिहारिया सहित दस विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है उपर वर्णित विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित विद्यालयों के भवन निर्माण कर चहारदीवारी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विशेष अवकाश की अनुमति

*2122. सुश्री श्रेयसी सिंह (जमुई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 तक अनुबंध पर कार्यरत सभी आँगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्थायी महिला राज्यकर्मियों की भाँति विशेष अवकाश अनुमान्य था, जिसे जनवरी, 2023

से समाप्त कर दिया गया जबकि संविदाकर्मियों की समस्याओं के निराकरण एवं हितों के संरक्षण हेतु गठित अशोक चौधरी उच्चस्तीय कमिटी की रिपोर्ट में सभी संविदाकर्मियों को नियमित कर्मियों की भाँति समस्त अवकाश के उपभोग की अनुशंसा की गई थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्थायी महिला राज्यकर्मियों की भाँति विशेष अवकाश के उपभोग की अनुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन, चहारदीवारी एवं संपर्क पथ का निर्माण

*2123. श्रीमती कविता देवी (कोरहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड में डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांसु उच्च माध्यमिक विद्यालय लगभग 65 वर्ष पुराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय लगभग तीन एकड़ में फैला हुआ है परंतु विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है और चहारदीवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं विद्यालय कैम्पस में घूमते रहते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय से मुख्य सड़क का रास्ता भी कच्चा है जिसके कारण वर्षा में आने-जाने लायक नहीं रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन, चहारदीवारी तथा सड़क कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गंगा के पानी को प्रदूषण मुक्त कराना

*2124. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के 33 शहरों के किनारे गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा गंगा किनारे के 33 स्थलों के गंगा के पानी की शुद्धता की जाँच में पाया गया कि इसका पानी ना तो पीने और ना ही नहाने लायक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के छोटे-बड़े शहरों के नाला एवं कल-कारखाने का खतरनाक रसायन युक्त पानी गंगा में गिराने से आमजनों के साथ-साथ जलीय जीवों के लिये भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पिछले सात वर्षों में गंगा नदी में प्रदूषण स्तर की लगातार बढ़ोतरी हो रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गंगा का पानी प्रदूषण मुक्त कराने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*2125. श्री शशि भूषण सिंह (सुगौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों सुगौली एवं रमगढ़वा में डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये 30 किलो मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री कॉलेज या शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंध समिति का अधिकार

*2126. श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ सहित राज्य में उत्क्रमित एवं उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किया गया है, विद्यालय विकास का कार्य प्रबंध समिति के निर्णयानुसार होता रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंध समिति के अधिकार को समाप्त कर जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्य को कराने का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रबंध समिति की महत्ता को देखते हुए प्रबंध समिति के अधिकार को पूर्ववत् रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कुश्ती मैदान का निर्माण

*2127. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के बेलागंज विधान सभा क्षेत्र से पूर्व में प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी निकले हैं, परंतु अब संसाधनों के अभाव एवं विभागीय उदासीनता के कारण कुश्ती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बेलागंज, गया में कुश्ती के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक आधुनिक सुविधा युक्त कुश्ती मैदान का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शोधार्थियों को सुविधाएँ प्रदान करना

*2128. श्री रामबली सिंह यादव (घोसी)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 अगस्त, 2024 को छपी खबर का शीर्षक ''उच्च शिक्षण संस्थानों में शोधार्थी को अब मिलेंगे 15 हजार रुपये'' के माध्यम से क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री शोध-वृत्ति योजना संबंधी प्रस्ताव जिसमें शोधार्थियों की आयु 45 वर्ष करने, 05 वर्षों तक फेलोशिप की राशि देने तथा विश्वविद्यालयों में सेमिनार हॉल का निर्माण कराने की सहमति मिली थी, परन्तु अबतक लागू नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शोधार्थियों को 15 हजार रुपया प्रतिमाह देने तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन विसंगति दूर कराना

*2129. श्री सिद्धार्थ सौरव (बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उप-सचिव, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 11/वि 1-08/2013 (अंश II) 3068, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पटना के ज्ञापांक 544, दिनांक 13 जनवरी, 2025 के आलोक में सेवा पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का आदेश जारी किया गया है परन्तु विसंगतियाँ बरकरार है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सेवा पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान

*2130. श्री चन्द्रशेखर (मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग के आदेश से प्रा० वि०, गुणेश्वर नगर, अंचल-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ का संविलियन मध्य विद्यालय, संन्यासी टोला में हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के पत्रांक 4070, दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 ज्ञापांक 2101, दिनांक 20 अगस्त, 2024, ज्ञापांक 477, दिनांक 8 फरवरी, 2024, ज्ञापांक 1972, दिनांक 16 जुलाई, 2024 तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, पूर्णियाँ के ज्ञापांक 13, दिनांक 6 जनवरी, 2024 एवं पत्रांक 11, दिनांक 9 जनवरी, 2025 द्वारा दिये गए वेतन भुगतान के आदेशों के बावजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनमनखी एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई अभीतक नहीं की गई, जिससे सहायक शिक्षक मनबोध कुमार का वेतन भुगतान लम्बे समय से बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए उक्त सहायक शिक्षक का लंबित वेतन भुगतान करने के साथ-साथ उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2131. श्री राम सुरत कुमार (औराई)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड-औराई अंतर्गत भलुरा रेखा बाजार से दरभंगा वाया कटाई-यजुआर-बेनिबाद एवं पहसौल से सीतामढ़ी वाया यजुआर पहसौल-पूपरी में एक भी सरकारी बस का परिचालन नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्गों पर सरकारी बस का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्थिक लाभ मुहैया कराना

*2132. श्री दिलीप राय (सुरसंड)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड के बाल संरक्षण इकाई के तहत स्पॉन्सरशीप योजना द्वारा गरीब व असहाय बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है परंतु इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे जिनके आय का कोई स्रोत नहीं है तथा जो असहाय व निर्धन हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त आर्थिक लाभ से अबतक वंचित हैं, यदि हाँ, क्या तो सरकार उक्त प्रखण्ड के बच्चों को स्पॉन्सरशीप योजना के तहत आर्थिक लाभ मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बसों का परिचालन शुरू करना

*2133. श्री भीम कुमार सिंह (गोह)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत उपहारा से गोह होते हुए औरंगाबाद एवं गोह से पटना तक आवागमन हेतु सरकारी बस का परिचालन नहीं होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रफीगंज प्रखण्ड के पौथू से पटना तक एवं पौथू से औरंगाबाद तक सरकारी बस का परिचालन नहीं किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सरकारी बसों का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन वर्कशेड का निर्माण

*2134. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के बेल पंचायत के ग्राम-सिहुड़ी एवं खुदवा पंचायत के ग्राम-कलेन में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण लंबित है तथा उक्त दोनों ग्राम में गैर-मजरुआ सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों ग्राम में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2135. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र के ईसुआपुर प्रखंड अन्तर्गत आतानगर (वासुदेवनगर) में स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खेल के विकास को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान बनाना

*2136. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 8053 पंचायतों में कम-से-कम एक खेल मैदान बनाये जाने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में रखा गया परंतु उक्त वित्तीय वर्ष में मात्र दो माह बचे रहने के बावजूद अबतक एक भी खेल मैदान पूरा नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार लक्ष्य प्राप्ति के लिये कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों/लिपिकों के विरुद्ध कार्रवाई

*2137. श्री मुकेश कुमार रौशन (महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 825, दिनांक 18 अगस्त, 2017 के द्वारा सहायक शिक्षिका श्रीमती रूपा राधा एवं पत्रांक 864, दिनांक 28 अगस्त, 2017 के द्वारा सहायक शिक्षिका श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीठापुर की गलत नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उप-सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 784, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के द्वारा श्री राकेश कुमार एवं ज्ञानेंद्र कुमार, लिपिक, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीठापुर की गलत नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को दिया गया है, खंड (1) एवं खंड (2) में उल्लेखित शिक्षिकाओं एवं लिपिकों की नियुक्ति के कारण सरकार को अबतक करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुँची है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों/लिपिकों के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करते हुये नियुक्ति रद्द कर राशि की वसूली का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑनलाइन हाजिरी में नेटवर्क की समस्या

*2138. श्री रणविजय साहू (मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूरे राज्य के विद्यालयों में e- शिक्षा कोष के द्वारा ऑनलाइन हाजरी लगाने का प्रावधान लागू किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 80% से ज्यादा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या है और ऑनलाइन हाजिरी बनाने में देरी होने से शिक्षक अनुपस्थित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऑनलाइन हाजिरी बनाने में आ रहे नेटवर्क की समस्या दूर करने और इसका विकल्प खोजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना

*2139. श्री रामवृक्ष सदा (अलौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय +2, बीरपुर एवं गर्ल्स स्कूल, बीरूपुर में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बच्चों का पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण करना

*2140. श्री श्रीकान्त यादव (एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड लहलादपुर पंचायत दयालपुर ग्राम-गुलरबगा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान विद्यालय का भवन नहीं बनाया गया है और दूसरे विद्यालय में Tag कर संचालित किया जा रहा है, जिससे दूरी के कारण बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाना पर रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गुलरबगा गांव में प्राथमिकी विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण

*2141. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के खैरा पंचायत के ग्राम-मांझी टोला सुरौया स्थित प्राथमिक विद्यालय, सुरौधा में 68 (अड़सठ) बच्चे विद्यालय भवन नष्ट हो जाने से सर्दी, गर्मी, बरसात के दिनों में खुले में पढ़ने का विवश है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकें और लाइब्रेरियन की व्यवस्था करना

*2142. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधी से सिकटा प्रखंड कार्यालय परिसर में एक पुस्कालय भवन का निर्माण हुआ है जिसमें पुस्तकें और लाइब्रेरियन नहीं रहने से छात्र, युवाओं तथा अन्य पाठक पठन-पाठन से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुस्तकालय भवन में पुस्तकें एवं लाइब्रेरियन की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मटेश्वर धाम महोत्सव के आयोजन हेतु

*2143. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियापुर अनुमंडल के कांठो पंचायत स्थित लाखों लोगों की आस्था के केन्द्र बाबा मटेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले मटेश्वर धाम महोत्सव को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल कर वर्ष 2025 में मटेश्वर धाम महोत्सव के आयोजन हेतु राशि निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षों के बढ़े हुये आकार को छटाई हेतु

*2144. श्री अरूण सिंह (काराकाट)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के प्रखंड काराकाट में करथ राजवाहा पर कृषि वाणिकी वृक्षारोपण के तहत वृक्षारोपण कार्य किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजवाहा पर पूर्व से अवस्थित मोथा फॉल से मोथा पुल के आगे तक कृषि पटवन हेतु विद्युत् तार/पोल में वृक्षों के आकार बढ़ने तथा स्पर्श के कारण दुर्घटना घटने एवं पटवन में विद्युत् बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राजवाहा पर अवस्थित वृक्षों के बढ़े हुये आकार की छटाई करने अथवा तार कवर कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का निर्माण

*2145. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय नहीं है,

जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंजरिया प्रखंड के चैलाहाँ महादलित बस्ती दहेता में उपलब्ध सरकारी भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण के संबंध में

*2146. श्री संदीप सौरभ (पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा जिलाधिकारी, पटना के अनुमोदन के साथ पत्रांक 2679, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कई वर्षों से पदस्थापित लेखा सहायक-सह-डाटा इंट्री ऑपरेटरों के स्थानांतरण की अनुमति मांगी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अंतर्गत पालीगंज सहित अन्य प्रखंडों में कई वर्षों से लेखा सहायकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है जो नियमानुकूल नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पालीगंज प्रखंड सहित पटना जिले के सभी प्रखंडों में कार्यरत लेखा सहायक-सह-डाटा इंट्री ऑपरेटरों का स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ परिवहन निगम की बसों को चलाने

*2147. श्री पवन कुमार यादव (कहलगांव)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला एवं गोराडीह प्रखंड में रेल मार्ग नहीं होने के कारण प्रखंड वासियों के आवागमन हेतु एकमात्र साधन सड़क मार्ग है, किन्तु उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालय से भागलपुर, पूर्णियाँ आदि जिलों में आवागमन हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों का परिचालन नहीं होता है, जिससे प्रखंड वासियों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार सन्हौला से गोराडीह होते हुये भागलपुर व पूर्णियाँ जिलों के लिये सरकारी बस कबतक चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2148. श्री भाई वीरेन्द्र (मनेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1675, दिनांक 12 फरवरी, 2002 में उल्लेख है कि ''दयानन्द विद्यालय मीठापुर, पटना के प्रबंध समिति में वर्तमान समय में दान देकर दानदाता प्रबंध समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं,'' के नियम विरुद्ध जिला कार्यक्रम पदा० (स्थापना) पटना के पत्रांक 2119, दिनांक 27 फरवरी, 2025 के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में वरीय/योग्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को नजरअंदाज कर कनीय शिक्षक श्री मनीष कुमार को विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाने का औचित्य क्या है ?

पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*2149. श्री विजय कुमार मण्डल (दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/वि0को0/ता0प्र0/08/2023-2017, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 द्वारा जगजीवन महाविद्यालय, डेहरी ऑन सोन, रोहतास में विभागीय स्तर से गठित 2 सदस्यीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में वित्तीय अनियमितता को प्रतिवेदित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रतिवेदन के संदर्भ में दोषी सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में नए भवन का निर्माण

*2150. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के नौडिहा झुरांग पंचायत के मध्य विद्यालय झुरांग के नये भवन के निर्माण नहीं होने से छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के कारण इसका संचालन काफी दूर दूसरे गाँव के विद्यालय में संचालित किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नये भवन का निर्माण कबतक करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*2151. श्री फते बहादुर सिंह (डिहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड के गंगौली दलित टोला में विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हैं जबकि विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है, जिसका खाता संख्या 758, प्लॉट संख्या 760, रकबा 22 डी0 है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दलित टोला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान करने संबंधी

*2152. श्री मुहम्मद इजहार असफी (कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज के जिला के सभी विशिष्ट शिक्षकों को प्राण नम्बर नहीं मिलने के कारण विगत 2-3 महीना से वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे उनलोगों को जीवनयापन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार विशिष्ट शिक्षकों का मासिक वेतन भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*2153. श्री मो0 नेहालउद्दीन (रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के नगर पंचायत के वार्ड नं0 8 बड़ी दुर्गा स्थान के पीछे +2 राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय रफीगंज में पढ़ने वाले बच्चे की संख्या लगभग 2500 है जबकि बच्चों के पढ़ने हेतु मात्र 8 कमरा है, जिसका भवन काफी जर्जर है जिससे किसी घटना होने की आशंका बनी रहती है एवं उक्त विद्यालय के प्रांगण में काफी मात्रा में भवन निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है यदि हाँ, तो सरकार कबतक बच्चों के पढ़ने हेतु उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय-सह-छात्रावास बनाना

*2154. श्री राणा रणधीर (मधुबन)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड मुख्यालय में अनुसूचित जाति के लिए विद्यालय-सह-छात्रावास अवस्थित है जो रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय-सह-छात्रावास के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण बंद हो जाने से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों को पढ़ाई में असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबन में एक नया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति विद्यालय-सह-छात्रावास बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2155. श्री विनय कुमार (गुरुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत परैया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, गोली को सर्वशिक्षा अभियान योजना वर्ष 2011-12 में 6 लाख 25 हजार की लागत से भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया था, परंतु भवन का निर्माण कार्य अभीतक अधूरा पड़ा हुआ है, जिस कारण छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अधूरे विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2156. श्री संजय कुमार गुप्ता (बेलसंड)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में 2024 को बाढ़ आने के कारण बेलसंड प्रखंड के जाफापुर ग्राम में बाढ़ के कारण जाफापुर मदरसा पानी के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से मदरसा में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जाफापुर मदरसा भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ई०पी०एफ० खाते में जमा करना

*2157. श्री अमरजीत कुशवाहा (जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृप करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प पत्र उप-सचिव के ज्ञापांक 11/वि 1-08/2013 (अंश-2) 1157, दिनांक 29 अगस्त, 2020 के पैरा 5 के आलोक में नियोजित शिक्षकों को ई०पी०एफ० स्कीम से आच्छादित करते हुए दिनांक 1 सितम्बर, 2020 से उनके वेतन से प्रति माह अंशदान के रूप में 1800 रुपये तथा राज्य सरकार का अंशदान 1800+150 रुपये शिक्षकों के ई०पी०एफ० खाते में जमा करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के नियोजित शिक्षकों के वेतन से प्रतिमाह ई०पी०एफ० अंशदान की कटौती होती ही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 11 माह की राशि शिक्षकों के वेतन के कटौती हुई है, परंतु सरकार द्वारा अंशदान शिक्षकों के खाते में उक्त राशि जमा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिले के लगभग 10 हजार नियोजित शिक्षकों के वेतन से अंशदान के रूप में की गई कटौती को ई०पी०एफ० खाते में जमा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2158. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निदेश के तहत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/अपार आई0डी0 कार्ड बनवाने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान, पटना के पत्रांक 3476, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 पत्रांक 821, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक 467, दिनांक 15 फरवरी, 2025 एवं जहानाबाद जिला द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, अपार आई0 डी0 कार्ड नहीं बनवाने वाले प्रधानाध्यापकों के वेतन से 5 प्रतिशत कटौती एवं कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रधानाध्यापक के वेतन कटौती को आदेश की जाँच एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2159. श्री मनोज कुमार यादव (कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय +2 जगीराहाँ में चहारदीवारी एवं भवन का अभाव है, जिस कारण छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी एवं भवन निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों में लगाये गए बोरिंग की जाँच

*2160. श्री छोटे लाल राय (परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड-परसा एवं दरियापुर अंतर्गत सभी उच्च विद्यालयों +2 एवं मध्य विद्यालयों में सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल हेतु बोरिंग लगाया गया है जिसमें संवेदक द्वारा कम गुणवत्ता वाले एवं पाइप समरसेबुल एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है, जिस कारण बहुत विद्यालयों में बोरिंग खराब पड़ा हुआ है जिससे विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की आपूति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड के विद्यालयों में लगाये गए बोरिंग की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

*2161. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड स्थित मनिहारी नगर पंचायत अन्तर्गत पीर मजार और अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत गोगाबील झील पर्यटन का केंद्र है, किन्तु यह पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इन दोनों स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि देना

*2162. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (राजा पाकर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सी0बी0एस0ई0 से प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) में दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण बिहार के स्थायी निवासी छात्राओं को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बी0एस0ई0बी0 से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दसवीं एवं बारहवीं छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भेद-भाव को खत्म करते हुए खण्ड (1) में उल्लेखित छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालिका विद्यालय स्थापित करना

*2163. श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में इंटरस्तरीय बालिका विद्यालय स्थापित करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2009-10 में की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी और पुनपुन प्रखंड में इंटरस्तरीय बालिका विद्यालय नहीं है जिसके कारण बालिकाओं-सह-शिक्षा (co-education) युक्त +2 विद्यालयों में पठन-पाठन के लिए नामांकित होना पड़ रहा है जहाँ छात्रों के लिए अलग से सुविधा नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फुलवारीशरीफ नगर परिषद् स्थित इंटर स्कूल और पुनपुन नगर पंचायत स्थित 10+2 विद्यालय को इंटरस्तरीय बालिका विद्यालय कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, ,नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2164. श्री अजीत कुमार सिंह (डुमरांव)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में उभयलिंगी व्यक्ति नियम, 2020 की नियम 4 'पहचान पत्र जारी करने के लिए पद्धति की उपनियम (1) एवं (2) के तहत किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रपत्र-2 के तहत एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और कोई प्रमाण-पत्र नहीं मांगे जाने का प्रावधान है फिर भी आवेदक मो0 शमीम, हफीजुल हालदार, प्रगति अवस्थी व पूजा खोजया को प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रपत्र-2 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत जिला-मजिस्ट्रेट, बक्सर द्वारा पत्रांक 2084/बा0स0, दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर/चक्की/बक्सर को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में निदेश दिया है, यदि हाँ, तो सरकार उभयलिंगी व्यक्ति को प्रमाण-पत्र निर्गत करने में नियम के उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

*2165. श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''प्रारम्भिक स्कूलों में राशि रहते दो हजार शौचालय निर्माण लंबित'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में वर्ग कक्ष, शौचालय तथा नये भवन आदि संरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 में 587 करोड़ में 20 करोड़ खर्च हुए हैं, जो कुल राशि का महज 3.38 प्रतिशत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब दो हजार शौचालय निर्माण कार्य लंबित है, राज्य के नौ जिला पटना, शेखपुरा, अरवल, जमुई, सीवान, सारण, सहरसा, वैशाली और मधुबनी में लक्ष्य के विरुद्ध आधे कार्य हुए हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2024-25 में स्कूल कंपोजिट ग्रांट की राशि भवनों की मरम्मती के लिए 398 करोड़ के विरुद्ध मात्र 242 करोड़ खर्च अबतक की गई है जिसमें पटना, सारण, बांका, लखीसराय, गया जिला के स्कूलों के द्वारा आधी से कम राशि खर्च की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय को मूल स्थान पर संचालित कराना

*2166. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड अन्तर्गत सरारी उत्तर पंचायत के ग्राम-सरारी पूर्व टोला के नाम से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चयनित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को अपना भवन नहीं रहने के कारण वहां से 1.5 कि0मी0 दूरी पर प्रेमचंद उच्च विद्यालय, सरारी के कमरा को देकर वहां टैग कर दिया गया है, जिसके कारण गाँव के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर चयनित विद्यालय को उनके मूल स्थान पर संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्खनन पर विराम लगाना

*2167. श्री आनन्द शंकर सिंह (औरंगाबाद)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद शहर के निकट से बहने वाली बटाने और अदरी नदियों को बालू के अत्यधिक उत्खनन के कारण नदियों में जल संचय और जल अधिशोषित नहीं होने से भू-गर्भीय जल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर पर्यावरण असंतुलन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों नदियों से बालू उत्खनन पर विराम लगाने के लिये भविष्य की निविदा को बंद करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*2168. श्री आलोक कुमार मेहता (उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2021, पत्रांक 07/नियो0-09/2022-90 बिहार सरकार, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के द्वारा पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग का परीक्षाफल सुधार करते हुए 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृत 8386 पदों में उत्तीर्ण 3523 अभ्यर्थियों में से 2300 के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर योगदान दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष उत्तीर्ण 1223 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना चाहती है,.हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराकर कार्रवाई करना

*2169. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (नबीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, लखनीपुर का भवन इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के विकास राशि के व्यय में अनियमितता किये जाने के कारण भवन की स्थिति जर्जर है और इस अनियमितता की जांच के लिए उक्त विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों द्वारा उच्च पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त तथ्यों की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों भवन का निर्माण

*2170. श्रीमती ज्योति देवी (बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत प्रखंड-बाराचट्टी के ग्राम पंचायत सरवाँ का ग्राम-सरवाँ, पंचायत भलुआ के ग्राम-पिपराही में तथा ग्राम पंचायत बजरकर के ग्राम-घोड़सारी के विद्यालयों में 10+2 की पढ़ाई हो रही है किंतु भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रथम वर्ग से लेकर 10+2 तक के छात्र-छात्राएं प्राथमिक विद्यालय तथा मध्य विद्यालय के भवन में ही पढ़ाई करते हैं जिससे पठन-पाठन में घोर कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में 10+2 का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक के आश्रित को योगदान कराना

*2171. श्री विजय कुमार (शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, कोनन के रामचन्द्र राम, भूतपूर्व शिक्षक की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक के पुत्र श्री राणा रंजीत सिंह, ग्राम-नेपुरा, पोस्ट-अस्थावां, जिला-नालन्दा को अनुकम्पा के आधार पर योगदान कराने हेतु निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 2118, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया है लेकिन आजतक उक्त शिक्षक के आश्रित को योगदान नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आश्रितों को कबतक योगदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि दिलाना

*2172. श्री रामानुज प्रसाद (सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "मैट्रिक में प्रथम आये 68 हजार को नहीं मिली प्रोत्साहन की राशि" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सूबे में विभिन्न जिलों के मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की जारी सूची के अनुसार 68 हजार बच्चें प्रोत्साहन राशि से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार वंचित बच्चों को कबतक प्रोत्साहन राशि दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्रीशिप कार्ड लागू करना

*2173. श्री सत्यदेव राम (दरौली)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC योजना दिशा-निर्देश, 2021 के अन्तर्गत प्रत्येक योग्य विद्यार्थी को बिना किसी फीस के पेमेंट के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिये राज्य सरकार फ्रीशिप कार्ड देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत आज भी बिहार को केन्द्र सरकार से कुल खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलता है तथा राज्य सरकार शेष 40 प्रतिशत का पेमेंट करती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 30 मार्च, 2021 सहित कई बार आदेश देने के बाद भी सरकार ने फ्रीशिप कार्ड को लागू नहीं किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के गरीब एवं दलित विद्यार्थियों के लिये फ्रीशिप कार्ड को कबतक लागू करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालिका विद्यालय की स्थापना

*2174. श्री प्रणव कुमार (मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत महुली तथा शंकरपुर पंचायत में बालिका विद्यालय नहीं होने के कारण यहां के लड़कियों को नगर निगम स्थित बालिका विद्यालय जाना पड़ता है,

जो पंचायत से दूर है जबकि मध्य विद्यालय, श्रीमतपुर में बालिका विद्यालय संचालित किया जाये तो दोनों पंचायत के लड़कियों को दसवीं तक की पढ़ाई के लिये दूर नहीं जाना होगा, यदि हाँ, तो सरकार मध्य विद्यालय, श्रीमतपुर में कबतक बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*2175. श्री संतोष कुमार मिश्र (करगहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत सेमरी स्थित ग्राम-नादो में प्रा० विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम-नादो में पिछड़े, अतिपिछड़े तथा महादलित परिवारों के बच्चों की संख्या करीब 350 है जो कि प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं, जबकि ग्राम-नादो में प्राथमिक विद्यालय हेतु ग्रामीणों द्वारा जमीन भी हस्तांतरित किया जा चुका है, फिर भी वहां के 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ने हेतु ग्राम-बसंतपुर प्रा० विद्यालय में जाते हैं जो करीब 2 कि०मी० की दूरी पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-नादो में प्रा० विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*2176. श्री कुमार शैलेन्द्र (बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर बिहपुर एवं खरीक में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या आबादी के औसतन काफी कम है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना

*2177. सुश्री श्रेयसी सिंह (जमुई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बैट्री चालित तिपहिया वाहन उपयोग करने वाले 60% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 3 लाख है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रतिदिन बैट्री चालित तिपहिया वाहन को बिजली से चार्ज करने में आने वाला बिजली बिल प्रतिमाह दिये जाने वाले बिहार राज्य निशक्तता पेंशन से भी अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दिव्यांगजनों को 300 यूनिट प्रतिमाह तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2178. श्रीमती कविता देवी (कोरहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड में प्राथमिक विद्यालय, तुर्की भंगाहा का भवन जर्जर रहने के कारण कभी-भी दुर्घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय हेतु नया भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्षी विहार विकसित करना

*2179. ई० शशि भूषण सिंह (सुगौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड रमगढ़वा ग्रा०-पो०-जैतापुर में अवस्थित झील और विभिन्न प्रजाति की देशी एवं विदेशी पक्षियों का विचरण स्थल है, यदि हाँ, तो सरकार उसे पक्षी विहार के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*2180. श्रीमती मनोरमा देवी (बेलागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र के कोरमथु पंचायत के नंदू विगहा, विजयपुर में प्राथमिक विद्यालय, विजयपुर का अपना भवन नहीं है, जिसके कारण यह विद्यालय पिछले 30/35 वर्षों से सामुदायिक विकास भवन में संचालित है जहाँ छात्र-छात्राओं को विद्यालय की मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय, विजयपुर, नंदू विगहा का शौचालय सहित भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों/कर्मियों की पुनर्बहाली

*2181. श्री चन्द्रशेखर (मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक 203 गो०, दिनांक 01 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग में पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि द्विपक्षीय एकरारनामा के अनुसार उक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को 03 वर्षों के लिए बहाल किया गया था, परन्तु मात्र 18 महीने में ही उन्हें हटाने का आदेश निर्गत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एकरारनामें के अनुसार उक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अगले 18 महीने के लिए पुनर्बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2182. श्री राम सूरत कुमार (औराई)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड औराई अन्तर्गत भलुरा रेखा बाजार से मुजफ्फरपुर भाया भलुरा-बंदवासपुर-रामनगर-रतवारा-रुन्नीसैदपुर तथा प्रखण्ड कटरा अंतर्गत यजुआर से सीतामढ़ी भाया कटाई-भलुआ-रामनगर-औराई-रुन्नीसैदपुर सड़क में एक भी सरकारी बस का परिचालन नहीं होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्गों पर कबतक सरकारी बस का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्मित विद्यालय भवन को सौंपना

*2183. श्री दिलीप राय (सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, बिन्द टोला, लालपुर का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2019 में भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है और भवन बनकर तैयार है परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित प्राचार्य को पूर्ण राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण भवन का एन०ओ०सी० प्राप्त नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये बने भवन का पूर्ण राशि भुगतान करते हुये एन०ओ०सी० प्राप्त कर भवन को प्राथमिक विद्यालय, बिन्द टोला को सौंपने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान करना

*2184. श्री भीम कुमार सिंह (गोह)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखण्ड के बर्मा्खुर्द पंचायत के ग्राम-जाजापुर के निवासी श्री ओम प्रकाश राम की दिनांक 22 फरवरी, 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिसका रफीगंज थाना में कांड संख्या 73/22 में प्राथमिकी दर्ज है, किन्तु सभी कागजात जमा करने के तीन वर्ष बाद भी मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लिफ्ट मरम्मती कराना

*2185. श्री ऋषि कुमार (ओबरा)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया में बहुमंजिला छात्रावास (हॉस्टल) में लगी लिफ्ट खराब है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में लगी लिफ्ट को कबतक ठीक (चालू) कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2186. श्री जनक सिंह (तरैया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया विधान सभा क्षेत्र के ईशुआपुर, तरैया एवं पानापुर प्रखंड में समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत ICDS कार्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आमलोगों को कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में ICDS कार्यालय का अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छुट्टी कैलेंडर में संशोधन

*2187. <u>श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2025 के पूर्व हिन्दी माध्यमों के विद्यालयों में रविवार को तथा उर्दू माध्यमों के विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश होता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 के छुट्टी कैलेंडर में हिन्दी एवं उर्दू माध्यम के विद्यालयों के लिये रविवार को ही अवकाश घोषित किया है जिससे उर्दू माध्यम विद्यालयों में पढ़नेवाले अल्पसंख्यक बच्चों को कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2025 के छुट्टी कैलेंडर को उर्दू माध्यम के विद्यालयों के लिये पूर्व की भांति संशोधित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मृतक के आश्रित को सरकारी मुआवजा दिलाने हेतु

*2188. <u>श्री रणविजय साहू(मोरवा)</u>--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के हलई थाना अन्तर्गत ग्राम-दरवा, निवासी-किसन कुमार, पिता-कलेश्वर राम की मृत्यु दिनांक 09 अप्रैल, 2024 को सड़क दुर्घटना में हो गयी थी जिसका थाना काण्ड संख्या 18/24 दर्ज है, परन्तु मृतक के आश्रित को अबतक सरकारी मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रित को सरकारी मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रजिस्ट्री कचहरी बनाना

*2189. <u>श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (सिकंदरा)</u>--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड के सिकन्दरा में पूर्व में रजिस्ट्री कचहरी का मुख्यालय हुआ करता था तथा वर्तमान में सिकन्दरा एवं अलीगंज प्रखंडों के शहर में तब्दील होने व जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जमीन की खरीद-बिक्री भी काफी बढ़ गयी है जिससे जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को काफी दूर जमुई जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भांति सिकन्दरा में रजिस्ट्री कचहरी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिफ्तार करने एवं पदधिकारियों पर कर्रवाई करने हेतु

*2190. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री गोपाल रविदास, माननीय सदस्य, फुलवारीशरीफ को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरथौल (फुलवारीशरीफ) में जाति विशेष द्वारा जाति सूचक शब्दों का उच्चारण करते हुये नये स्कूल भवन के उद्घाटन करने से रोके जाने पर उनके द्वारा कांड संख्या-32/25, दिनांक 26 जनवरी, 2025 परसा बाजार, पटना में अनुसूचित जाति ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, परन्तु नामजद की गिरफ्तारी अबतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 मार्च, 2025 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 100 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी० 600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025